

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी (राजस्थान)

पीठारशीन अधिकारी :- हरि राम गीना, आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 88/2022

(75 एल.आर.एनट.)

उपनाम

1. परि देवी पत्नि श्री श्रीगन जाति गीना निवासी ग्राम मैडी तहसील वजीरपुर।
2. रामदयाल पुत्र श्री श्रीगन जाति गीना निवासी ग्राम मैडी तहसील वजीरपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिए नायब तहसीलदार तहसील वजीरपुर।

.....रेस्पोंडेन्ट

उपरिथत:-

1. श्री इरलाग खान अभिभाषक अपीलार्थी।
2. राजकीय पैरोकार रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

::: निर्णय :::

दिनांक:- 11-10-2023

यह अपील न्यायालय नायब तहसीलदार वजीरपुर के मुकदमा नं0 133/22 वउपनामी सरकार बनाम परि देवी वगै0 निर्णय दिनांक 02.09.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी ग्राम मैडी द्वारा अपीलार्थीगण के खिलाफ संवत् 2079 में खरीफ फसल में अनाधिकृत खसरा नं0 1436,1536 रकबा 0.75 हैक्टर गैर मुमकिन चरागाह भूमि पर कब्जा करने की रिपोर्ट नायब तहसीलदार वजीरपुर के समक्ष पेश की। नायब तहसीलदार वजीरपुर ने अपीलार्थी को 60 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश दिये हैं जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण को यह अपील पेश करना आवश्यक हुई है। निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून है जो खारिज होने योग्य है। अपीलार्थीगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित नहीं होते हुए भी सिविल कारावास से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलार्थीगण के विधिवत नोटिस तामील नहीं हुए उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने एक तरफा निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलार्थीगण को अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 2.9.2022 की जानकारी वजीरपुर थाने के पुलिसकर्मी का ग्राम में वारन्ट लेकर जानकारी करने से दिनांक 29.11.2022 को हुई है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अदालत मातहत दिनांक 02.9.2022 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलार्थीगण की ओर से अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थीगण को नायब तहसीलदार वजीरपुर के आदेश दिनांक 02.09.2022 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी/अपीलार्थीगण को अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 02.9.2022 की जानकारी वजीरपुर थाने के पुलिसकर्मी का ग्राम में वारन्ट लेकर जानकारी करने से दिनांक 29.11.2022 को हुई है। इससे पूर्व प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को आदेश दिनांक 2.9.2022 की जानकारी दिनांक 29.11.2022 को होने से अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोंडेन्ट को जरिए सम्मन तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण एवं राजकीय पैरोकार की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी



विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित आराजी ग्राम मैडी की सरकारी गैर मुमकिन चरागाह भूमि ख.नं. 1436,1536 रकबा 0.75 है. पर परि देवी पत्नि श्रीमन व रामदयाल पुत्र श्री श्रीमन जाति मीना निवासी मैडी द्वारा अवैध रूप से कब्जा होना जाहिर किया है जबकि आराजी मौके पर अपीलार्थीगण का कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का ने बिना मौका निरीक्षण किये एवं बिना पैमाईश किये, अदालत मातहत में अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण के विधिवत नोटिस तामील नहीं हुए है, उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने एक तरफा निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलार्थीगण पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं है और ना ही पूर्व में अतिक्रमण करने व बेदखल करने के बारे में कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अपीलार्थीगण को बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित किया है जो निरस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थीगण इस बात का शपथ पत्र प्रस्तुत करने को तैयार है कि हमारे द्वारा विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट का कथन है कि अपीलार्थीगण पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उन्हें अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थीगण ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। भूमि गैर मुमकिन चरागाह है जो सरकारी भूमि है। अतः अपीलार्थीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त किये जाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावें।

हमारे द्वारा बहस विद्वान अभिभाषकगण अपीलार्थीगण व पैरोकार सरकार के तर्कों पर मनन किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली से जाहिर है कि अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण की तामील भू -राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 60 के प्रावधानों के अनुसार नहीं करवायी जाकर परिवार के अन्य सदस्यों से करवायी गई है जो विधि के विरुद्ध है। अदालत मातहत को चाहिये था कि वे अपीलार्थीगण की तामील विधि प्रक्रिया अनुसार पूर्ण करवाकर तथा अपीलार्थीगण को विधिवत् सुनवाई का अवसर देते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अदालत मातहत द्वारा सिविल कारावास की सजा के आदेश जारी करने से पूर्व पश्चातवृत्ति अतिक्रमण साबित करवाने के लिए अपीलार्थी/अप्रार्थीगण के बयान व अप्रार्थी से जिरह कर निष्कर्ष निकाला जाकर स्पष्ट रूप से निर्णित किया जाना चाहिए था। अप्रार्थीगण के पश्चातवृत्ति अतिक्रमी साबित होने के पश्चात् ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) में सिविल कारावास से दण्डित किया जाना चाहिए था, परन्तु अदालत मातहत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलार्थीगण को सिविल कारावास की सजा की गई है जो अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.09.2022 सिविल कारावास की सजा तक अपास्त किया जाता है तथा शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11-10-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।



(हरि राम मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला सिजिस्ट्रेंट
जयपुर सिटी